

शा.प.नं 0328 दिनांक 21.09.21

अनुसूची 23-मध्य भाग 192।

सम्पत्ति अन्वेषण-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं. 867/2021 आवेदन सं. 867/2021
 स्थिति की जानकारी के लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया है।
 स्थिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरणों पर और अन्वेषणों का संचालन प्रमाण-पत्र रिखा जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण है)


इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले आवेदकों और अन्वेषणों के बारे में बर्दा में और उचित सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता. 2004 में ता. 2004 तक जासात की गई और वेणी ता. 2004 के बाद निम्न सम्पत्तियों और अन्वेषणों पर पता प्राप्त है।

क्र. सं.	कु. स्थिति का विवरण	निष्पादन की तारीख	य. दस्तावेज प्रदान की गयी	पारों के भाग		दस्तावेज की प्राप्ति के प्रति निर्देश		
				निष्कारण	रावेदार	मिल 1।	सं	पृ
	Name - Chalti Aowindpaw Ho. 167 - Kh. Ho. 26, 29 Plot No. 32, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 41/278 Area 96 dec							
	NIL							

क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें। R.M. Mondal
 ख) 1. संयोजन-पत्र की दशा में ब्यज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते, कि इनके बारे में उल्लेख हो।
 2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।


3
में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहार और अद्वारा से छोड़, उक्त संपत्ति की प्रमाणित करने वाले कितनी अन्य संव्यवहार और अद्वारा पर पता नहीं चलें।

निम्न व्यक्ति में तलासी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :


(हस्ताक्षर) - 

(पदनाम) - 


तलासी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जांच निम्न व्यक्तियों में की

(हस्ताक्षर) - 

(पदनाम) - 

कार्यालय  Sub-Registry Office




निम्न पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख 21/9/2017

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अद्वारा दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा गथा प्रस्ताव संपत्ति विकल्प की अनुमति पर दिये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से निम्न विवरण देकर किन्हीं दूसरी संपत्तियों की निश्चित वस्तुओं में दिखाया गया हो; तो वे भी दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (इन्वेन्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) निम्नानुसार अपिनिम्न की धारा 47 के अधीन जो व्यक्ति बहिष्कृत और अनुमतिपत्र (इन्वेन्शन) की प्रविष्टि देकर काश्त हो, अथवा जो उनका प्रतिनिधि लेगा थाकते हो अथवा जिन्हे विनिश्चित संपत्तियों के अद्वारा के प्रमाणपत्रों की जलत हो उन्हें तलासी स्वयं करना होगा। शिक्षा कीस पर गुमान करने पर बहिष्कृत और अनुमतिपत्रों उनके तालने रख दी जायेंगी।

क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलासी अपने परतक तालपानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलासी परिणाम की रिपोर्ट भूत के लिए कितनी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है और चूंकि उपरोक्त पत्र में सत्यवहारी और अद्वारा के सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक के द्वारा न किये गये ऐसे सत्यवहारी और अद्वारा की छूट के लिए कितनी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

Sarak made by me
P. M. Mandal